"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—आश्विन 13, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक 7493/2653/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं को दिनांक 01-08-2012 से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना एतद्द्वारा नियत करता है :—

	पद का नाम		पुनरीक्षित फीस दर
(1)	विशेष लोक अभियोजक	(क)	500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	रु. 1000/- (रु. एक हजार) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अधिकतम रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रतिमाह.
		(ग)	रिटेनर फीस रु. 4000/- (रु. चार हजार) प्रतिमाह
(2)	विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता.	(क)	400/- (रु. चार सौ) प्रतिदिंन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	रु. 800/- (रु. आठ सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अधिकतम रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रतिमाह.

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकरणों में, न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा :—

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,

(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र के कारण प्रकरण में और कोई कार्यवाही नहीं होने पर,

(3) अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थिति होने के कारण.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-008-शासकीय अभिभाषकों के फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 345/1002015 वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 16-08-2012 तथा यू. ओ. क्र. 365/1002015 वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 31-08-2012 द्वारा प्रदान किया गया है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

फा. क्रमांक 7662/2623/21-ब/छ.ग./2012.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक-29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

श्री चन्द्रभूषण सिंह पटेल, को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है.

F. No. 7662/2623/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Shri Chandra Bhushan Singh Patel, Retd. District & Sessions Judge as the Judicial Member of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of three years or until he attains the age of 65 years whichever is earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक 7501/2777-2155-ए/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण के कार्य दिवस को, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्य दिवस के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	4.47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	सलिहापारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	भलपहरी	0.821	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	भलपहरी जलाशय योजना के नहर एवं उलट निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	उतरदा	3.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बनमुड़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बिरदा	2.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेदूवाही व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	केराकछार	2.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	केराकछार	3.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय के उलट कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	आमाखोखरा	9.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झिलगीटार प. ह. नं. 40	160.161	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-भर्राकुड़ा, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.736 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.081
187, 188	0.101
174	0.036
175	0.534
167/3	0.162
167/4क	0.090
177	0.129
167/4ख	0.153
167/5	0.486
167/6	0.121
168	0.704
169/1	0.429
169/2	0.202
169/3	0.141
170/1	0.283
170/2	0.906
171/1	0.219
171/2	0.405
172	0.186

(1)	(2)
176	0.368
योग	5.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटसिरा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-उतरदा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1छ, 100	1.58
101/1	2.91
103	0.44
योग	4.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
88	0.07
156	0.22
157/1	0.04
163/1	0.33
163/2	0.22
167/3	0.10
168	0.08
169/1	0.17
169/2	0.30
171	0.12
172	0.07
173/2	0.08
174	0.30
175	0.04
176	0.02
190	0.20
192/1	0.19
192/2	0.09
193/2	0.06
193/3	0.06
193/4	0.06
195	0.09
196	0.11
209/1	0.09
212	0.07
213	0.09

(1)	(2)
214	0.09
215	0.34
217/2	0.37
218	0.12
219	0.09
240/1	0.13
240/2	0.02
256	0.13
463	0.22
466	0.02
467	0.02
468	0.13
471	0.05
474	0.27
477	0.06
478	0.06
482/1	0.02
482/2	0.02
482/4	0.02
484/1	0.06
485	0.09
486	0.08
438/2	0.09
488/3	0.05
499/1	0.35
500	0.02
501/1	0.02
502	0.21
586/1	0.03
586/2	0.03
587	0.11
योग	6.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मानिकपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-तेंदूभाठा, प.ह.नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
07	0.01
11/2	0.03
11/3	0.10
11/10	0.24
13/1/क/2	0.15
21	0.25
22	0.08
23, 24/2	0.05
25	0.01
27	0.03
28	0.11
29	0.10
32	0.07
33	0.05
34	0.10
35/10	0.30
35/11	0.10
35/14	0.06
35/15	0.10
42/3	0.07
42/4	0.08
48/3	0.03
48/4	0.[illegible]
48/5	0.03
48/9	0.04
49/1	0.05

(1)	(2)
49/2	0.15
49/3	0.15
49/4	0.05
50	0.01
53/1	0.14
54/1	0.20
55/3	0.12
56	0.16
योग	3.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभाठा-जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मांगामार, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
498	0.18
500	0.08
501	0.22
519, 520	0.05
522	0.05
523	0.12
524	0.05
525	0.16
534	0.05
योग	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनिकपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सेंद्रीपाली, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.587 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/4	0.405
73/5	0.113
73/6	0.494
184/6	0.202
185	0.223
186/2	0.486
187/2	0.081
187/3	0.243

(1)	(2)
188/2	0.518
190/1ग/1	0.745
190/1ग/2	0.740
190/1ग/3	0.538
190/1ग/4	0.202
190/1ज/1	0.405
190/1ज/2	0.081
190/1छ	0.615
190/1/झ	0.769
190/2	0.117
190/3	0.417
190/4	0.097
190/5	0.105
190/6	0.040
190/7	0.040
191/5	0.671
192/1	0.417
192/2	0.352
195/1	0.243
195/2	0.101
201/1	0.202
201/2	0.218
239/1	0.841
240	0.607
241/1/घ	0.259
योग	11.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभाठा-जलाशय योजना के डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3892.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री बी. आर. ध्रुव, तहसीलदार, कोटा को कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 5713 दिनांक 31-08-2012 द्वारा श्री बी. आर. ध्रुव, तहसीलदार, कोटा का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. एस. दुबे, तहसीलदार, कोटा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. आर. ध्रुव, तहसीलदार, कोटा का स्थानांतरण होजाने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. एस. दुबे, तहसीलदार, कोटा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष, बायलर अटेंडेंट परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स परीक्षा

(आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30-11-2012)

क्रमांक मुनिवा/ए-13/5463/2012.—सूचित किया जाता है कि बायलर परिचर नियम, 2011 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स को प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 26 दिसम्बर-2012 से 28 दिसंबर 2012 को रायपुर में आयोजित की गई है. प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स को प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 को रायपुर में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"क") इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4 × 10 इंच साइज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"क") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"क") केवल शासकीय डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र-"क" पर सम्पूर्ण विवरण तथा अन्य प्रपत्रों सहित सचिव, बायलर अटेंडेंट परीक्षक मंडल, कार्यालय, मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, जी.ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492001 में दिनांक 30-11-2012 तक या उसके पूर्व शासकीय डाक द्वारा पहुंचने चाहिये. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा हेतु पात्रता

(1) **दिनांक 01-12-2012 को न्यूनतम अनुभव :—**

(अ) भाप बायलर पर फायरमेन या आपरेटर या सहायक फायरमेन या सहायक आपरेटर के रूप में दो वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(ब) बायलर फिटर के रूप में तीन वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें से सहायक फायरमेन के रूप में एक वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(स) आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारक को लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव.

(2) **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) **आयु सीमा :—** दिनांक 01-12-2012 को न्यूनतम 18 वर्ष.

प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा हेतु पात्रता

(1) **दिनांक 01-12-2012 को न्यूनतम अनुभव :—**

(अ) द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट के प्रमाण पत्र के साथ न्यूनतम 50 वर्गमीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया के बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(ब) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान से तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें एक वर्ष इंजन या बायलर की मरम्मत या निर्माण संबंधी प्रशिक्षुता शामिल हो, के साथ द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट के प्रमाण पत्र के साथ 50 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया के बायलर पर एक वर्ष का कार्य अनुभव.

(2) **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) **आयु सीमा :—** दिनांक 01-12-2012 को न्यूनतम 20 वर्ष.

टीप तथा अन्य शर्तें :—

1. परीक्षक मंडल के निर्णय के अनुसार इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छत्तीसगढ़ में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा तथा अन्य राज्यों में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

2. आवेदन प्रपत्र "क" के भाग-4 में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा अराजपत्रित अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. अन्य व्यक्ति अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अमान्य है.

3. आवेदन प्रपत्र "क" से भाग-I, II, III तथा IV के सभी कालम की पूर्ति की जावे. प्रपत्र "क" में कांट-छांट अमान्य है. अपूर्ण आवेदन अथवा त्रुटिपूर्ण चालान अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त किये जावेंगे.

4. शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के बाद न्यूनतम अनुभव की गणना की जावेगी.

5. परीक्षा शुल्क-द्वितीय श्रेणी परीक्षा हेतु रु. 300=00 तथा प्रथम श्रेणी परीक्षा हेतु रु. 500=00 की राशि का चालान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अधिकृत बैंक में निम्नलिखित आयमद में जमा किया जावे :—

0230	—	श्रम तथा रोजगार
00	—	.. ..
103	—	भाप बायलरों हेतु निरीक्षण शुल्क (राज्य)
0000	—	.. ..

6. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2(डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है. एक ही अधिकारी द्वारा सेवा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर अमान्य है.

7. आवदेन प्रपत्र "क" के साथ निर्धारित प्रारूप में मूल सेवा प्रमाणपत्र, परीक्षा शुल्क का मूल चालान, स्वयं के चार पासपोर्ट साइज (50mm × 65mm) फोटो जो हाल ही में निकाले गये हों तथा जिनमें से दो के पीछे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर राजपत्रित अधिकारी या नियोक्ता से प्रमाणित हों, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी तथा आयु संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें. प्रथम श्रेणी की परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी भी संलग्न करें.

8. सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निम्नलिखित संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावे. अन्य किसी प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाणपत्र अमान्य है.

सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र का प्रारूप

दिनांक : ....
स्थान : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पदनाम .... आत्मज श्री .... हमारी इकाई में दिनांक .... से दिनांक .... तक/आज दिनांक तक .... निम्नलिखित बायलरों के प्रचालन और/या रखरखाव का कार्य कर रहे हैं/थे.

हमारी इकाई में स्थापित बायलर/बायलरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. बायलर पंजीयन/मेकर क्रमांक
2. बायलर का प्रकार
3. वर्किंग प्रेशर (कि. ग्राम प्रति वर्ग से.मी.)
4. तापन सतह/रेटिंग (वर्ग मीटर)
5. अंतिम निरीक्षण दिनांक

हमारी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र अच्छा है तथा इनकी जन्मतिथि .... है. यह प्रमाण-पत्र इनको छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली बायलर अटेंडेंट परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत् प्रदान किया जा रहा है.

प्रमाणित किया जाता है कि :— (जो लागू न हो उसे काट देवें)

(अ) श्री .... हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत् है तथा इनका भविष्य निधि खाता क्रमांक .... है.

(ब) हमारी संस्था में आवेदक हेतु भविष्य निधि लागू नहीं है परन्तु श्री .... हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत है तथा उनका वेतन एवं उपस्थिति का अभिलेख हमारी संस्था में उपलब्ध है. उपरोक्त अभिलेख जांच/निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा.

बायलर अधि. 1923 की धारा 2 (डी) में

प्रतिहस्ताक्षर .... घोषित बायलर मालिक/एजेन्ट का हस्ताक्षर ....

नाम .... नाम ....

पदनाम .... पदनाम ....

पदमुद्रा (सील) .... पदमुद्रा (सील) ....

9. दो सेवाओं के बीच 90 दिवस से अधिक का व्यवधान होने की स्थिति में आवेदक द्वारा कारण बताते हुए स्पष्टीकरण पत्र दिया जावे. एक से अधिक सेवाओं की स्थितियों में समस्त सेवाओं हेतु सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा.

एफ. के. भोई,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th September 2012

No. 667/Confdl./2012/II-2-3/2002.—In Supersession of the Registry Order No. 479/Confdl./2009/II-2-3/2002 dt. 30-07-2009, the following District Judges (Selection Grade) as specified in Column No. (2) are hereby appointed on the post of District Judge (Selection Grade) from the revised date mentioned in Column No. (4) in place of the date mentioned in Column No. (3) of the table below :

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Selection Grade) (3)	Revised date of appointment on the post of District Judge (Selection Grade) (4)
1.	Shri Akhil Kumar Samanta Ray, Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	25-03-2009	08-04-2006

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker).	25-03-2009	08-04-2006
3.	Shri Ram Prasanna Sharma, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Raipur.	25-03-2009	08-04-2006
4.	Smt. Ranoo Diwekar, Retired member of Higher Judicial Service.	25-03-2009	08-04-2006
5.	Shri Ashok Kumar Goyal, Registrar, Arbitration Tribunal, Raipur.	25-03-2009	21-01-2007
6.	Shri Pradeep Kumar Dave, District & Sessions Judge, Korba.	25-03-2009	21-01-2007
7.	Shri Arvind Singh Chandel, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha).	25-03-2009	21-01-2007
8.	Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	25-03-2009	01-02-2007
9.	Shri Shiv Mangal Pandey, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur).	25-03-2009	01-02-2007
10.	Shri Ramesh Kumar Rathi, Principal Judge, Family Court, Raipur.	25-03-2009	01-02-2007
11.	Shri Anand Kumar Beck, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara).	25-03-2009	01-08-2007
12.	Smt. Vimla Singh Kapoor, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur).	25-03-2009	01-08-2007

By order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.